

दिनांक .15.11.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील.. उमर पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब जहर पधारें हैं। अन्य कमी संभव है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक .21.12.22 को पेश हो।

रीडर

21.12.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पक्ष उपस्थित। जस्टे साहब पक्ष को दिनांक 3.2.23 को पेश हो।

उपसंखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा

3-2-23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील एवं उनके वकील को रुक-रुक कर कई बार आवाज लगवाई गयी किंतु उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली को इन्तजार में रखा गया। न्यायालय समक्ष समाधि से शर्क पुनः वादी एवं उनके वकील को आवाज लगवाई गयी किंतु कोई उपस्थित नहीं आये। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है। अतः वादी का वादपत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरकी के स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश पुनाम जमा।

उपसंखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा